उत्तराखण्ड शासन

विद्यालयी शिक्षा विभाग

संख्या-553/XXIV-5/2015-3(10)/2013

देहरादून, दिनांक 24 फरवरी, 2016

विज्ञप्ति

राज्यपाल, राज्य में जन सहयोग के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव, शिक्षण व्यवस्था का संचालन तथा शिक्षा/शिक्षण गुणवत्ता आदि सहित शिक्षा के समग्र विकास और गरीब/मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2015 संचालित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2015

अध्याय-एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

उद्देश्य

2. इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :-

(क) जनसहयोग द्वारा प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों का विकास करना।

(ख) विद्यालय भवन, कक्ष, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल आदि के निर्माण, विस्तारीकरण, मरम्मत हेतु सहयोग करना।

(ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण व अन्य सुविधा उपलब्ध कराना,

(घ) छात्रवृत्ति का संचालन करना, और

(ङ) विशेष विद्यालयों यथा- आवासीय विद्यालय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय अथवा हॉस्टल सुविधायुक्त विद्यालय का सुदृढ़ीकरण व अन्य कार्य करना।

(च) शैक्षिक उन्नयन हेतु विद्यालय में काष्ठोपकरण, शैक्षणिक सामग्री एवं उपकरण, कम्प्यूटर लैब तथा इस हेतु सामग्री के लिये सहयोग करना।

(छ) बच्चों के चंहुमुखी विकास एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु शैक्षिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों द्वारा अथवा विद्यालयों की यथोचित आवश्यकतानुसार अन्य वर्ग/क्रियाकलापों में सहयोग करना।

परिभाषाएँ 3. योजना में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावलियों का अर्थ निम्नानुसार होगा, यथा–

(क) "विद्यालयी शिक्षा" से राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यवस्था अभिप्रेत है।

(ख) **'कोष'** से प्रस्तर 4 के अधीन स्वैच्छिक संगठनों एवं विद्यालय विकास में सहयोग देने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदेश, जनपद एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास हेतु धनराशि के रूप में प्राप्त सहयोग से सृजित कोष अभिप्रेत है।

(ग) **'राज्य शासी निकाय'** से नियम–5 (क) के अधीन राज्य स्तर पर गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(घ) **'जनपदीय शासी निकाय'** से नियम–5 (ख) के अधीन जनपद स्तर पर गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ङ) **'विद्यालय शासी निकाय'** से नियम–5 (ग) के अधीन विद्यालय स्तर पर गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ञ) **'अन्य संसाधनों'** से विद्यालय विकास हेतु वस्तु, तकनीकी सहयोग, मानवीय संसाधन के रूप में किया जाने वाले सहयोग अभिप्रेत है।

(च) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(छ) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(ज) 'अभिभावक शिक्षक संगठन' या 'पी0टी0ए0' से विद्यालय स्तर पर गठित अभिभावक–शिक्षक संगठन अभिप्रेत है।

अध्याय–2

कोष, आस्तियां एवं आय, शासी निकाय, बैठक, कार्यवाही, गणपूर्ति

कोष, आस्तियां एवं आय 4. उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आस्तियों से मिलकर क्रमशः राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं विद्यालय स्तर पर एक–एक कोष की स्थापना की जायेगी :–

(क) सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निकायों से प्राप्त अभिदान, अनुदान,

(ख) उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ट्रस्टों, स्वैच्छिक समूहों, मण्डी समितियों अथवा गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त आस्तियॉ/सहयोग,

(ग) शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत चन्दा आदि।

(घ) पुरातन छात्रों, छात्र परिषदों/संघों से प्राप्त सहयोग।

(ङ) सामुदायिक सहयोग द्वारा प्राप्त धनराशि अथवा वस्तु।

(च) बैंकिंग/वाणिज्यिक संस्थायें।

(छ) पी0टी0ए0 के अतिरिक्त अभिभावकों से प्राप्त स्वैच्छिक सहयोग।

शासी निकाय 5. उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना के क्रियान्वयन, कोष को संचालित करने तथा उसके अनुश्रवण तथा नियमन एवं कोष के आय–व्यय के सम्बन्ध में निर्णय/नियंत्रण हेतु राज्य, जनपद, विद्यालय स्तर पर निम्नवत् शासी निकाय होगा–

(क) राज्य स्तर पर –

(1) मंत्री, विद्यालयी शिक्षा–	अध्यक्ष;
(2) प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक)–	उपाध्यक्ष;
(3) सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि– जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो–	सदस्य;
(4) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा –	सदस्य–सचिव;
(5) निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण–	सदस्य
(6) वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा–	सदस्य;
(7) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद्–	सदस्य;

(ख) जनपद स्तर पर –

(1) जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी–	उपाध्यक्ष
(3) मुख्य शिक्षा अधिकारी–	सदस्य–सचिव
(4) जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0/प्रा0शि0)–	सदस्य
(5) जिला समाज कल्याण अधिकारी–	सदस्य
(6) जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित 3 जिला पंचायत सदस्य (एक महिला सदस्य सहित)–	सदस्य
(7) जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 शिक्षाविद् (1 महिला सहित)–	सदस्य
(8) जनपद में उपलब्ध NGO के 02 प्रतिनिधि–	सदस्य

(ग) विद्यालय स्तर पर–

(1) स्कूल प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष –	अध्यक्ष

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा नामित 1–1 ग्राम पंचायत सदस्य– (एक महिला सदस्य सहित) सदस्य

(3) पी0टी0ए0 द्वारा नामित 2 अभिभावक (एक महिला सहित) – सदस्य

(4) स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा नामित विद्यालय के 02 शिक्षक सदस्य– सदस्य

(5) प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक– सदस्य–सचिव

बैठक

6. (1) राज्य स्तरीय शासी निकास की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। जनपद स्तरीय शासी निकास की बैठक प्रत्येक चार माह में तथा विद्यालय स्तरीय शासी निकास की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित की जायेगी। किन्तु आवश्यकता होने पर बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक की सूचना लिखित रूप से बैठक से न्यूनतम 15 दिन पूर्व दी जायेगी परन्तु तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत 7 दिन की सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

कार्यवाही

7. शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही के अभिलेख सदस्य–सचिव द्वारा अनुरक्षित होंगे और प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करायी जायेगी।

गणपूर्ति

8. (1) शासी निकाय की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम आधे सदस्यों से होगी।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे परन्तु जनपद स्तरीय शासी निकाय में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे।

अध्याय–3

कार्यालय, कोष, कोष का संचालन, कोष का प्रयोग, अंकेक्षण, बजट और आर्थिक सहायता, अनुदान की स्वीकृति

कार्यालय

9. (1) राज्य शासी निकाय का कार्यालय शिक्षा महानिदेशालय, जनपदीय शासी निकाय का कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी का कार्यालय तथा विद्यालयी शासी निकाय का कार्यालय विद्यालय होगा।

(2) योजना के लेखे के समुचित अनुरक्षण और वार्षिक लेखे के परीक्षण के लिए सम्बन्धित शासी निकास का सदस्य–सचिव उत्तरदायी होगा।

कोष

10. योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा। प्राप्त अनुदान/सहायता जिस प्रयोजनार्थ दी गयी हो उसी प्रयोजन

हेतु व्यय/उपयोग की जा सकेगी। परन्तु विशिष्ट प्रयोजन हेतु प्र
अनुदान/सहायता यदि उक्त विशिष्ट उद्देश्य/कार्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त
हो तो अन्य स्रोतों के सहयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन
किया जा सकेगा। कोष में संकलित धनराशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि
उपयोग आवश्यकतानुसार सम्बन्धित शासी निकाय द्वारा प्रस्ताव पारित
निम्न प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

(1) तात्कालिक आवश्यकता हेतु शैक्षिक उन्नयन के लिए।

(2) किसी विशिष्ट प्रयोजन में धन की कमी होने पर अवशेष धनराशि
व्यवस्था।

(3) किसी अन्य प्रयोजन जो शैक्षिक उन्नयन हेतु सम्बन्धित शासी निका
उचित समझे।

कोष का संचालन

11. (1) कोष का संचालन वित्तीय हस्त पुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियमों के अधीन तथा वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी वित्तीय नियमों के अनुरूप नियमों के अनुसार किय जायेगा।

(2) राज्य, जनपदीय, विद्यालय स्तर पर शासी निकाय के क्रियाकलापों का संचालन एवं कोष का रखरखाव सम्बन्धित शासी निकास के सदस्य–सचिव द्वारा किया जायेगा तथा ऑडिट वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की अनुसूची में बिन्दु 5(5) में इंगित अन्य ईकाईयों के रूप में निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

(3) दानस्वरूप प्राप्त धनराशि की रसीद दानदाताओं को सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत की जायेगी। यदि दानदाता नाम गुप्त रखना चाहें तो उन्हें छद्म नाम से रसीद दी जाएगी।

कोष का प्रयोग

12. कोष का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकेगा–

(1) राजकीय विद्यालयों के आवासीय/अनावसीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण, सुदृढीकरण, रखरखाव, मरम्मत, खेल मैदान अथवा ऐसे संसाधनों के विकास व संचालन जिनके लिए अन्य स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था न हो रही हो;

(2) किसी राजकीय विद्यालय विशेष हेतु दान सामग्री/धनराशि का उपयोग दानदाता के अनुरोधानुसार किया जायेगा;

(3) विद्यालयों के ऐसे विकास पर जिन्हें शासी निकाय उपयुक्त पाये;

(4) कोष का प्रयोग किसी भी निजी संस्था द्वारा संचालित विद्यालय अथवा किसी संस्था विशेष द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए नहीं किया जायेगा;

(5) राज्य/जनपद स्तरीय शासी निकास के सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों सहायता प्रदान किये जाने हेतु विवरण तैयार कर शासी निकाय के समक्ष

प्रस्तुत किया जायेगा जिसके निर्णयानुसार धनराशि/सहायता प्रदान की जाएगी।

(6) विद्यालय स्तरीय शासी निकाय के सदस्य सचिव द्वारा विद्यालय में किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव शासी निकाय के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) दानदाताओं द्वारा निम्नलिखित मदों में सहयोग किया जा सकेगा:–

(1) स्कूल भवन/भवन खण्ड/कक्षा–कक्ष का निर्माण/मरम्मत

(2) प्रांगण विकास

क्रीड़स्थल

(3) काष्ठोपकरण

(4) वाचनालय कक्ष/पुस्तकालय/पुस्तकें

(5) विज्ञान प्रयोगशाला/कम्प्यूटर उपकरण

(6) कम्प्यूटर कक्ष

(7) विज्ञान प्रयोगशाला

(8) कक्षा–कक्ष

(9) बहुउद्देशीय हॉल

(10) अन्य (जैसे मध्याह्न भोजन एवं उसमें गुण/मूल्यवर्धन हेतु बर्तन, गैस की व्यवस्था आदि)

(11) शैक्षिक उन्नयन हेतु मानवीय संसाधनों की व्यवस्था।

(12) अन्य कोई सहयोग/सहायता जो सहयोगकर्ता उचित समझे।

(8) दानदाता द्वारा विद्यालयों अथवा विद्यालय विशेष के लिये कोई सामग्री जो शिक्षा के प्रयोजन हेतु विद्यालय में प्रयोग में लाई जाती/जा सकती हो, भी शासी निकाय को प्रदान की जा सकती है। दानदाताओं द्वारा विद्यालयों अथवा किसी विद्यालय विशेष के लिए कोई सामग्री, जो शिक्षा के प्रयोजन हेतु विद्यालय में प्रयोग में लायी जाती/जा सकती हो, भी उपलब्ध करायी जा सकती है। सामग्री/धनराशि के रूप में प्राप्त वस्तु की सम्बन्धित अभिलेखों में विधिवत् अंकना की जायेगी। दानदाता द्वारा सम्पूर्ण सहयोग दिये जाने पर उनका नाम शिलापट्ट में लिखा जायेगा तथा सर्वाधिक दान/एक मात्र दान प्रदान करने वाले व्यक्ति के कर कमलों से सम्बन्धित सृजित सुविधा का उद्घाटन किया जायेगा। दानदाताओं द्वारा आंशिक सहयोग दिये जाने पर ऐसे दानदाताओं का नाम जो रू0 50000/–

या अधिक का सहयोग करेंगे, का नाम शिलापट्ट पर अंकित किया जायेगा। परन्तु यदि दानदाता इच्छुक न हो तो इनका नाम शिलापट्ट पर अंकित नहीं किया जायेगा।

(9) विद्यालय में किसी सहयोगकर्ता/दानदाता द्वारा किसी कक्ष, भवन अथवा सिविल ढॉचे या किसी स्थावर सम्पत्ति का पूर्ण निर्माण अथवा सृजन हेतु सहयोग किया जाता है तो उनके विकल्प के अनुसार उन्हें अपने किसी परिजन के नाम से उसका नामकरण शासी निकाय के अनुमोदन से करा सकेंगे।

दानदाताओं का नाम मुद्रित/अंकित किया जाना

13 (1) दानदाताओं को आयकर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार आवश्यक कार्यपालक आदेश जारी कर सकेगी अथवा यथा आवश्यकता वांछित प्रमाण पत्र निर्गत करेगी/सहयोग करेगी।

(2) दानदाताओं के नाम शिलापट्ट पर उनकी इच्छानुसार ही मुद्रित/अंकित किया जायेगा। परन्तु शिलापट्ट पर सर्वाधिक अंशदान देने वाले दानदाता से आरम्भ करते हुए अवरोही क्रम में नाम लिखें जायेंगे। वस्तु के रूप में दान देने वाले दानदाताओं के नाम पृथक शिलापट्ट पर लिखे जा सकेंगे।

अकेक्षण

14. कोष के आय–व्यय का खाता/लेखा अनुरक्षित किया जायेगा, जिसकी अंकेक्षण/सम्परीक्षा आख्या सम्बन्धित शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

बजट और आर्थिक सहायता

15. (1) कोष का वार्षिक बजट सम्बन्धित शासी निकाय के सदस्य–सचिव द्वारा प्रचलित वित्तीय नियम के अधीन निर्धारित कार्यों के लिए पृथक–पृथक तैयार किया जायेगा और सम्बन्धित शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) शासी निकाय के सम्मुख विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। शासी निकाय प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता/प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निर्णय लेगी तथा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करेगी।

(3) विद्यालयी शासी निकाय अपना वार्षिक लेखा जोखा अगले वित्तीय वर्ष के मई माह तक जनपदीय शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी तथा जनपदीय शासी निकाय अपना व विद्यालयी शासी निकायों का लेखा–जोखा माह जून तक राज्य शासी निकाय को प्रस्तुत करेगी।

अनुदान की स्वीकृति

16. राज्य/जनपदीय शासी निकाय का सदस्य–सचिव प्रत्येक वर्ष निर्धारित सहायता/अनुदान हेतु विद्यालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि शासी निकाय के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी। विद्यालयों को दानदाता द्वारा जिस प्रयोजन हेतु इंगित किया गया हो उन्हें उसी रूप में शासी निकाय के अनुमोदन से अनुदान/सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी, परन्तु यदि विद्यालय को उसी प्रयोजन हेतु अन्य निधि से सम्पूर्ण अनुदान प्राप्त होता हो तो शासी निकाय

इस धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा अन्य प्रयोजन हेतु कर सकेगी, परन्तु अंशदान प्राप्त होने पर/इसकी समीक्षा करने पर ही धनराशि का अनुमोदन किया जा सकेगा।

अध्याय–4

प्रकीर्ण

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

17. यदि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों।

18. इस योजना के लागू होने पर इस सम्बन्ध में प्रचलित उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013 निरसित की जाती है।

आज्ञा से

(एस0राजू)
अपर मुख्य सचिव,